न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी।

पीठासीन- निदा जैदी(उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J. O. Code- UP3389

दाण्डिक वाद सं० - 2105/ 2022

सरकार बनाम रवि कुमार उर्फ रवि विक्टोरा आदि

मु०अ०सं०- 202/ 2022

धारा- 379, 411, 420 भा०दं०सं०

थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।

आरोप

मैं **निदा जैदी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी आप अभियुक्तगण **रवि कुमार उर्फ रवि विक्टोरा, अल्ला उर्फ अरविन्द चौहान** व **विक्की यादव उर्फ शिवम यादव** को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ-

1- यह कि दिनांक- 12. 07. 2022 , समय रात्रि 02. 00 बजे से 3. 00 बजे के बीच , स्थान- राजू वाला के मकान के बाहर से, कस्वा गुरसरांय थाना- गुरसरांय , जिला झाँसी में आप अभियुक्तगण ने मोटरसाइकिल नं०- यूपी 93 बीबी 3718 को चोरी किया । इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा- 379 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि आप अभियुक्तगण के द्वारा चोरी की गयी मोटरसाइकिल नं० - यूपी 93 बीबी 3718 की नंबर प्लेट को परिवर्तित कर कूटरचित नंबर प्लेट यूपी 96 एफ 7696 से बदल कर छल किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा- 420 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि दिनांक- 13. 07. 2022 को थाना पुलिस द्वारा आप **अभियुक्त रवि कुमार उर्फ रवि विक्टोरा** को गिरफ्तार किया गया तथा आपके कब्जे से उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त ने **धारा- 411 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव मैं एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देश देती हूं कि उपरोक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक- 01. 08. 2025

(निदा जैदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक- 01. 08. 2025

(निदा जैदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

Digitally signed by NIDA ZAIDI
Date: 2025.08.01 12:01:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court